भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *169

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचा

*169. श्री मनीश तिवारी:

श्रीमती साजदा अहमद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के उस निर्णय पर ध्यान दिया है जिसमें सुरक्षित और सीमांकित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और पैदल यात्रियों के अधिकारों के लिए एक व्यापक विधायी और नीतिगत ढांचे की सिफारिश की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सुरक्षित, सुलभ और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने और ऐसे प्राधिकरणों, जिनके अंतर्गत कोई सड़क आती है, की जवाबदेही तय करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने अथवा मोटर यान अधिनियम, 1988 सहित मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मानक या दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों पर पैदल यात्रियों के अनुकूल राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और उनके लिए उपलब्ध अवसंरचना का ब्यौरा क्या है और फुटपाथों की कुल लंबाई, पैदल यात्रियों हेतु समपारों, पैदल ऊपरी पुलों, अंडरपास और अन्य सुविधाओं की संख्या कितनी है;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान पैदल यात्रियों हेतु अवसंरचना के विकास के लिए मौजूदा केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और पैदल यात्रियों की सुरक्षा में सुधार लाने, सार्वभौमिक सुलभता और एकीकृत परिवहन योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(च) विगत पांच वर्षों के दौरान मारे गए पैदल यात्रियों का ब्यौरा क्या है और देशभर में पैदल यात्रियों के मारे जाने को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

"पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचा" के संबंध में श्री मनीश तिवारी एवं श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पूछे गए दिनांक 30.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *169 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के तहत मोटर वाहनों को नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। मोटर यान अधिनियम की धारा 138 की उप-धारा (1क) राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों की गतिविधियों और पहुंच को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। इसके अलावा, धारा 138 की उप-धारा (2) मोटर वाहनों द्वारा फुटपाथ या पेवमेंट के उपयोग को प्रतिबंधित करने और यात्रियों को खतरे, चोट या परेशानी से बचाने के लिए राज्य सरकारों को और भी नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे का संबंध है, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा व्यापक दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं, अर्थात आईआरसी: 103-2022 "पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश"। तदनुसार, पैदल यात्री अंडरपास, फुट-ओवर ब्रिज, पैदल यात्री क्रॉसिंग, फुटपाथ आदि जैसे पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे, जहां भी आवश्यक हो, विस्तृत योजना और मूल्यांकन के आधार पर सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अभिन्न अंग हैं, और स्थल की अपेक्षाओं के अनुसार, या तो सुधार कार्यों के भाग के रूप में या ऑडिट के आधार पर स्टैंड-अलोन परियोजनाओं के रूप में निर्मित किए जाते हैं, ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और उद्घाटन-पूर्व चरण के साथ-साथ मौजूदा एनएच पर निर्बाध पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट भी किए जाते हैं। आईआरसी दिशानिर्देशों में पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे के संबंध में प्रमुख सिद्धांतों में से एक के रूप में "सार्वभौमिक सुलभता" शामिल है।

केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 166 के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस के लागू मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार, या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य निर्देश या दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती है जिसमें विस्तृत योजना और मूल्यांकन के आधार पर पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे, जहां भी आवश्यक हो, सहित कई घटक शामिल हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान सभी प्रकार की सड़कों पर हुई मौतों और एनएच पर पैदल यात्रियों की मौतों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

"पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचा" के संबंध में श्री मनीश तिवारी एवं श्रीमती साजदा अहमद के द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या *169 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तालिका-1: 2020 से 2024 के दौरान सभी प्रकार की सड़कों पर कुल मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सभी प्रकार की सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	आंध्र प्रदेश	7,039	8,186	8,293	8,137	8,346
2	अरुणाचल प्रदेश	73	157	148	145	168
3	असम	2,629	3,036	2,994	3,296	3,351
4	बिहार	6,699	7,660	8,898	8,873	9,347
5	छत्तीसगढ	4,606	5,371	5,834	6,166	6,945
6	गोवा	223	226	271	290	286
7	गुजरात	6,170	7,452	7,618	7,854	7,717
8	हरियाणा	4,507	4,706	4,915	4,968	4,689
9	हिमाचल प्रदेश	893	1,052	1,032	889	869
10	झारखंड	3,044	3,513	3,898	4,173	4,114
11	कर्नाटक	9,760	10,038	11,702	12,321	12,390
12	केरल	2,979	3,429	4,317	4,080	3,880
13	मध्य प्रदेश	11,141	12,057	13,427	13,798	14,791
14	महाराष्ट्र	11,569	13,528	15,224	15,366	15,715
15	मणिपुर	127	110	127	73	72
16	मेघालय	144	187	162	168	197
17	मिजोरम	42	56	113	96	110
18	नागालैंड	53	55	73	86	62
19	उड़ीसा	4,738	5,081	5,467	5,739	6,142
20	पंजाब	3,898	4,589	4,756	4,829	4,759
21	राजस्थान	9,250	10,043	11,104	11,762	11,790
22	सिक्किम	47	56	92	57	67
23	तमिलनाडु	14,527	15,384	17,884	18,347	18,449
24	तेलंगाना	6,882	7,557	7,559	7,660	7,949

25	त्रिपुरा	192	194	241	261	226
26	उत्तराखंड	674	820	1,042	1,054	1,090
27	उत्तर प्रदेश	19,149	21,227	22,595	23,652	24,118
28	पश्चिम बंगाल	5,128	5,800	6,002	6,027	6,676
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14	20	19	24	29
30	चंडीगढ़	53	96	83	67	75
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	64	76	90	74	95
32	दिल्ली	1,196	1,239	1,461	1,457	1,551
33	जम्मू और कश्मीर#	728	774	805	893	831
34	लद्दाख	उपलब्ध नहीं	56	62	59	61
35	लक्षद्वीप	0	1	2	0	0
36	पुद्दुचेरी	145	140	181	149	218
कुल (पूरे भारत में)		**1,38,383**	**1,53,972**	**1,68,491**	**1,72,890**	**1,77,175**

2020 में लद्दाख शामिल है

<u>तालिका-2: 2020 से 2024 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों की मौतें</u>

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**30.06.2026 तक एनएच लंबाई (किमी में)**	**वर्ष**				
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	आंध्र प्रदेश	8,704	579	618	669	719	838
2	अरुणाचल प्रदेश	4,367	2	2	4	1	1
3	असम	4,077	325	187	196	226	317
4	बिहार	6,400	1,311	1,348	1,355	1,471	915
5	छत्तीसगढ़	3,620	153	233	237	276	268
6	गोवा	299	9	17	0	16	17
7	गुजरात	8,135	398	420	442	529	511
8	हरियाणा	3,342	388	389	482	357	421
9	हिमाचल प्रदेश	2,602	0	97	96	50	73
10	झारखंड	3,633	4	38	206	305	227
11	कर्नाटक	8,191	482	597	579	735	679
12	केरल	1,858	249	242	349	310	257

13	मध्य प्रदेश	9,263	224	329	309	410	428
14	महाराष्ट्र	18,462	649	629	865	965	1,139
15	मणिपुर	1,840	15	15	22	10	16
16	मेघालय	1,156	13	30	22	30	25
17	मिजोरम	1,499	0	3	7	6	12
18	नागालैंड	1,670	7	8	10	8	5
19	उड़ीसा	5,897	170	219	253	293	267
20	पंजाब	4,264	165	156	173	168	202
21	राजस्थान	10,733	243	264	361	414	534
22	सिक्किम	721	2	4	2	5	2
23	तमिलनाडु	6,942	680	1,348	1,611	1,682	1,775
24	तेलंगाना	4,930	421	451	598	634	634
25	त्रिपुरा	889	14	28	32	41	36
26	उत्तराखंड	3,670	64	113	106	92	136
27	उत्तर प्रदेश	12,134	444	488	479	334	525
28	पश्चिम बंगाल*	3,910	852	1,025	553	884	956
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	331	2	3	1	4	2
30	चंडीगढ़	15	2	6	0	1	2
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	59		0	1	1	0
32	दिल्ली	167	13	101	106	93	48
33	जम्मू और कश्मीर	1,935	27	27	22	96	81
34	लद्दाख	806	उपलब्ध नहीं	1	2	0	4
35	लक्षद्वीप	-	0	0	0	0	0
36	पुद्दुचेरी	64	23	26	10	14	33
कुल			7,930	9,462	10,160	11,180	11,386

नोट: *वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल के आंकड़े वर्ष 2023 के लिए राज्य पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के पैटर्न और वर्ष 2024 के लिए राज्य के समग्र ईडीएआर डेटा के आधार पर पुनः तैयार किए गए हैं।

2. एनएः उपलब्ध नहीं

3. 2020 कैलेंडर वर्ष के लिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए डेटा का मिलान किया गया है।
